राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–2041/2011/झुन्झुनूं

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं ...प्रार्थी

बनाम

1. श्री भागचन्द पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जैन,
   निवासी–हिंगोनिया, तहसील जोबनेर,
   जिला जयपुर।
2. खान अभियंता, सीकर। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
अनुपस्थित ....अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.11.2016

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 31.01.2011 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) बीकानेर ने स्वविवेक से प्रारम्भ किये गये प्रकरण को पारित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दस्तावेज संख्या 76/07 दिनांक 03.08.2007 उप–पंजीयक खेतड़ी में माईनिंग लीज संख्या 76/10 के हस्तान्तरण के संबंध में पंजीबद्ध हुआ। दस्तावेज के द्वारा खनिज अभियंता, सीकर द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण विलेख का दस्तावेज पंजीकृत किया गया था। महालेखाकार, राजस्थान जयपुर द्वारा ऑडिट आक्षेप किया गया कि मुद्रांक कर बाजार दर से निर्धारण किया जाना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 के इस जवाब के आधार पर कि वित्त विभाग (कर अनुभाग) राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(18)वित्त/कर/96–42 जयपुर दिनांक 24.08.2007 द्वारा खान विभाग द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण के विलेख पर देय मुद्रांक कर घटाकर बाजार मूल्य के स्थान पर वार्षिक किराये की दोगुणा, प्रतिभूति की राशि, हस्तान्तरण शूल्क, मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय को जोड़कर उक्त लिखित हेतु निर्धारित मुद्रांक की दर से देय होना चाहिए, के आधार पर प्रकरण में बाजार मूल्य के स्थान पर उपरोक्त परिपत्र के आधार पर मुद्रांक कर वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं जिसके विरूद्ध राज्य पक्ष द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

लगातार.....2

3. निगरानी दर्ज कर रिकॉर्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. प्रकरण में एकपक्षीय बहस विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की सुनी गई।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2010 विधितथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के विरूद्ध है, अतः मुद्रांक कर बाजार दर से देय होना चाहिए। प्रकरण में परिपत्र संख्या 05/09 के बिन्दू संख्या 3(A) के अनुसार जहां लीज अधिकारों का हस्तान्तरण होता है वहां मुद्रांक कर धारा 21 के अनुसार कन्वेन्स मानते हुए देय है। इन्होंने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर रेफरेन्स स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैः–

7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगने के कारण निगरानी प्रस्तुत करने में देरी हुई है संतोषजनक एवं विश्वास योग्य होने एवं निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयष्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. विचारार्थ प्रकरण में उप–पंजीयक द्वारा निगरानी में राज्यपक्ष का मुख्य आधार यह है कि माईनिंग लीज डीड का हस्तान्तरण विचाराधीन दस्तावेज के द्वारा हुआ है जिससे मुद्रांक कर बाजार दर से देय होना चाहिए क्योंकि परिपत्र संख्या 05/09 के बिन्दु संख्या 3(A) के अनुसार जहां लीज अधिकारों का हस्तान्तरण होता है वहां मुद्रांक कर धारा 21 के अनुसार कन्वेन्स मानते हुए देय है।

विचाराधीन प्रकरण में पंजीबद्ध हुए दस्तावेज के द्वारा लीज डीड के अधिकारों का हस्तान्तरण हुआ है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वित्त विभाग (कर अनुभाग) राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(18)वित्त/कर/96–42 जयपुर दिनांक 24.08.2007 द्वारा खान विभाग द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण के विलेख पर देय मुद्रांक कर घटाकर बाजार मूल्य के स्थान पर वार्षिक किराये की दोगुणा, प्रतिभूति की राशि, हस्तान्तरण शूल्क, मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय को जोड़कर उक्त लिखित हेतु निर्धारित मुद्रांक की दर से देय होना चाहिए, के आधार पर प्रकरण में बाजार मूल्य के स्थान पर उपरोक्त परिपत्र के आधार पर मुद्रांक कर वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं। उपरोक्त परिपत्र दिनांक 24.08.2007 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार खनीज विभाग द्वारा निष्पादित खनन लीज के हस्तान्तरण के विलेख पर देय मुद्रांक कर घटाकर बाजार के स्थान पर वार्षिक किराया (डेडरेन्ट) की दोगुना एवं प्रतिभूति, हस्तान्तरण शूल्क, मौके पर किये गये विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय को

लगातार.....3

जोड़कर कुल प्रतिफल के रूप में संदेय राशि पर उक्त लिखित हेतु निर्धारित मुद्रांक कर की दर से देय होने का उल्लेख है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार ही दस्तावेज का मूल्यांकन किया है जो विधिसम्मत है।

9. राज्य पक्ष का निगरानी में यह आधार भी है कि परिपत्र संख्या 05/09 के बिन्दु संख्या 3(A) के अनुसार जहां लीज अधिकारों का हस्तान्तरण होता है वहां मुद्रांक कर धारा 21 के अनुसार कन्वेन्स मानते हुए देय है। निगरानी का यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि परिपत्र संख्या 05/09 विचाराधीन प्रकरण में प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 25.08.2007 को निष्पादित होकर दिनांक 30.08.2007 को पंजीबद्ध हुआ है जिस पर अधिसूचनां दिनांक 24.08.2007 लागू मानी जाएगी।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अधिसूचनां दिनांक 24.08.2007 के प्रकाश में विधिसम्मत है तथा इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम 30/11/2016

(सदस्य)